

912

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 109/111(1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 23 जनवरी, 2012

कार्यालय-आदेश

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 में उल्लिखित स्थान पर एतद द्वारा कार्य हित में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क0स0	अभियन्ता का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	श्री दिनेश कुमार, - प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रतीरक्षारत	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन -
2	श्री जीवन सिंह हंयाकी, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन	प्रान्तीय खण्ड, डीडीडिहाट

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी एवं उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
- सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 109/111(1)/13-46 (अधि0)09

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढ़वाल/कुमाऊ एवं रा०मा०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

308

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 92 / 111(1)/13-46(अधि0)/09 टी0सी0
देहरादून: दिनांक: 16 जनवरी, 2013
--कार्यालय ज्ञाप--

सु.अ. 2(3)/13 अंक

मुख्य सचिव
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/13-46(अधि0)/09 टी0सी0, दिनांक 10.01.2013 के द्वारा किये गये तैनाती आदेश में आशित संशोधन करते हुये निम्नलिखित अभियन्ताओं को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर एतद्वारा कार्यहित में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/स्थानान्तरण का स्थान
1	2	3	4
1	श्री रमेश चन्द्र पाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
2	श्री दीपक कुमार गुप्ता, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	विभागाध्यक्ष कार्यालय	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कालसी
3	श्री आर0पी0 सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कालसी	विभागाध्यक्ष कार्यालय

हस्ताक्षर

23/01/2013

- उपरोक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रभारी व्यवस्था के अन्तर्गत तैनाती के फलस्वरूप संबंधित अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या- 92 (1)/111(1)/46(अधि0)/2012 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौडी/अल्मोडा।
- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- अधीक्षण अभियन्ता, वि0यां0 वृत्त, देहरादून/हल्द्वानी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

अज्ञा से
(धीरेन्द्र सिंह दत्तल)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 210/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013
कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री आर0के0 जैन, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड नरेन्द्रनगर को अस्थाई खण्ड, थत्यूड में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
5. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)

• प्रमुख सचिव

संख्या 210/111 (1)/13-46 (अधि0)09

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल एवं पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

५
नं 157/330/13
प्रति लिपि :-

दे० ३०, दि० २५/१३

आज्ञा से,
प्रतिभा
(महिमा)
अनु सचिव

1. मु० मा० कल-३ लोक निर्माण वि०/१५५५५/५५५५/५५५५) दे० ३०
2. अस्थाई अभियन्ता उ०के०/१५५५५/५५५५/५५५५) दे० ३०
3. अधि० अभि०. १५५५५ नं० नं०/लोकनि० अ०३३)
4. क०अ० अ०अ०
5. क० अ०

22

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 2008/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0

देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री एस0 के0 राय, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी को पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड नरेन्द्रनगर में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 2009/111 (1)/13-46 (अधि0)09

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक-निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढ़वाल एवं पी0एम0जी0एस0वाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

547

पत्र सं 155 / 3307/सा/13

देहरादून, दि 2.2.13

आज्ञा से,

(Signature)

(महिमा)
अनु सचिव

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता, एन-1 लो0नि0वि0 (कोशी) Pm 559 देहरादून.
2. अधि0 अभियन्ता, Pm 554 मसुडी / 6 ठो हल, ड. मसुडी.
3. अधि0 अभियन्ता, 4 मसुडी / Pm 554 जगड, लो0नि0वि0, डे0 काशी / न. ग. ट.
4. अधि0 अभियन्ता, 710 र
5. को. अ. 1

(Signature)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

3/22

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 207/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0

देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री श्री कुंवर सिंह असवाल, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत को प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी अल्मोड़ा को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)

प्रमुख सचिव

संख्या 207/111 (1)/13-46 (अधि0)09

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढ़वाल/कुमाऊ एवं पी0एम0जी0एस0वाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

FAV

पत्र सं0 154 / 33 (अधि0)09/13
प्रतिलिपि दि. -

देहरादून, 21/2/13


आज्ञा से,



(महिमा)

अनु सचिव

1. मुख्य अ. स्तर- II लो0नि0वि0, पो0 / अल्मोड़ा
2. अ. स्तर- 06/1 को इत, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी / अल्मोड़ा
3. अ. स्तर- 06/1 को इत, लो0नि0वि0, रानीखेत / उत्तरकाशी
4. अ. स्तर- 06/1 को इत, लो0नि0वि0, रानीखेत / उत्तरकाशी
5. को इत II



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 206/III (1)/12-46(अधि)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01/फरवरी, 2013
कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री हरीश पांगती, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड, पुरोला को प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
5. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 256/III (1)/13-46 (अधि)09

प्रतिलिपि -- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढ़वाल/कुमाऊ एवं पी०एम०जी०एस०वाई, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि : 148/33 व्यक्त-सी०/13

देहरादून, दि० 22.1.13

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

1. मु० अ० क० ए० लो० नि० वि०, पौड़ी / (अ० क० ए०)
2. अ० अ० क० ए०, गै० ह० लो० नि० वि०, अ० क० ए० / (अ० क० ए०)
3. अ० अ० क० ए०, प० / लो० नि० वि०, रानीखेत / (अ० क० ए०)
4. लो० नि० वि०, अ० क० ए०
5. गै० अ० क० ए०

प्रमुख अभियन्ता एत विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रमुख अभियन्ता
लो० नि० वि०

4/2/13

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 205/111 (1)/12-46(अधि)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से श्री दीपक कुमार, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 को ए0डी0बी0, पी0एम0यू0, कार्यालय, देहरादून में एतद्वारा कार्य हित में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
4. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 205/111 (1)/13-46 (अधि)09

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

FAX पत्र सं. 152/33CP/111-1/13

दिनांक 2/2/13

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव :-

1. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लो0नि0वि0/एम0यू0/आ0डी0बी0/देहरादून
2. जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, लो0नि0वि0, देहरादून
3. अधि0 अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून
4. सम्बन्धित अधिकारी
5. गार्ड फाइल

11/1/13

(महिमा)

अनु सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

2/1/2013
4/2
प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 207/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

- वर्तमान में श्री धर्मपाल सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पौड़ी को निर्माण खण्ड, रानीखेत में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।
- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
 - सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
 - वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 207/111 (1)/13-46 (अधि0)09 टी0सी0

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल/अल्मोड़ा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

कार्यालय
प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,
[Signature]
(महिमा)
अधु सचिव

पृष्ठानुसं 159/35 व्यक्त. सं. 12 दि. 4/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता गढ़वाल कुमायूँ क्षेत्र लो. नि. वि. पौड़ी/अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता 12/01 इत लो. नि. वि. पौड़ी/अल्मोड़ा।
- अधीकारी अभियन्ता नि. वि. लो. नि. वि. पौड़ी/रानीखेत
- सम्बन्धित अधिकारी श्री धर्मपाल सिंह नेगी रु. अ. अ. वि.
- गार्ड फाइल।
- कोषाधिकारी पौड़ी/रानीखेत।

कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 200/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

- वर्तमान में श्री प्रमु लाल डोमाल, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन को प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।
- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
 - सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
 - वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
 - कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 200/111 (1)/13-46 (अधि0)09 टी0सी0

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

कार्यालय

आज्ञा से,

प्रि.सि.

(महिमा)

प्रमुख सचिव

पृष्ठान्त सं 160/35 का.सं-सा.1/12 दि. 4/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो. नि. वि. पौड़ी
2. अधीक्षण अभियन्ता 12/6 कां इत लो. नि. वि. पौड़ी/उत्तरकाशी
3. अधीकारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि. लैन्सडाउन/उत्तरकाशी
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी लैन्सडाउन/उत्तरकाशी
5. श्री प्रमु लाल डोमाल कार्यवाहक सहा. कार्य.
6. गार्ड फाइल।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर 1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

I/Ao एक
प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 263/111 (1)/12-46(अधि)09, टी0सी0

देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री योगेश्वर प्रसाद जोशी, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, टिहरी को निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

5. कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस0एस0 सन्धु)

प्रमुख सचिव

संख्या 203/111 (1)/13-46 (अधि)09 टी0सी0

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ-कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

कार्यालय

आज्ञा से,

महिमा

अनु सचिव

पुस्तक सं 161 क्रमांक 35-अंक 01/12/13 4/2/13

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो. नि. वि. टिहरी
- 2) अधीक्षण अभियन्ता 2 क्षेत्र लो. नि. वि. टिहरी
- 3) अधीक्षणी अभियन्ता प्रा. वि. खण्ड लो. नि. वि. टिहरी/नरेन्द्रनगर
- 4) कोषाधिकारी टिहरी/नरेन्द्रनगर
- 5) श्री योगेश्वर प्रसाद जोशी कार्यवाहक स. स. स.
- 6) गार्ड फाइल।

कार्यालय सचिव, अभियन्ता शाखा
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

2) 150 रु. क

प्रमुख अभियन्ता
को. जि. कि.

15

6

10

10

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 199/111 (1)/12-46(अधि)09, टी0सी0

देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री वीरेन्द्र बड़थवाल, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी को निर्माण खण्ड, ए0डी0बी0 पौड़ी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन-तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 199/111 (1)/13-46 (अधि)09 टी0सी0

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

2

1/13

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

कामलिप

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

पृष्ठांक सं 162/35 थक-0/12 डि 4/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड क्षेत्र लो. जि. कि. पौड़ी।
- मुख्य अभि. ए.डी.बी. / अ.डी. डेहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता 6 कां / ए.डी.बी. क्षेत्र लो. जि. कि. उत्तरकाशी / टिहरी
- उत्तरकाशी अभियन्ता प्रान्तीय / जि. कि. प.डी.बी. उत्तरकाशी / पौड़ी।
- कोषाधिकारी उत्तरकाशी / पौड़ी।
- श्री वीरेन्द्र बड़थवाल कार्यवाहक सहा. अभि.
- गार्ड फाइल।

4/2
कार्यालय प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 198/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री लाखी राम जूगडी, सहायक अभियन्ता, ए0डी0बी0 खण्ड, उत्तरकाशी को ए0डी0बी0 खण्ड, उत्तरकाशी के साथ-साथ प्रान्तीय खण्ड भटवाड़ी का अतिरिक्त प्रभार एतद्वारा कार्य हित में तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार प्रदान किये गये अतिरिक्त प्रभार हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 198/111 (1)/13-46 (अधि0)09 टी0सी0

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

M.P.H.

(महिमा)

अनु सचिव

कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

सूचना सं 163/35 क्र. 01/12 दि. 1/2/13

प्रतिलिपि निम्नको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य अभियन्ता आ. से. लो. निर्माण पोड़ी,
- (2) अधीक्षण अभियन्ता 6 काठ/ए.डी.बी. एवं लो. निर्माण उत्तरकाशी/टिही
- (3) अधीक्षाही अभियन्ता ए.डी.बी. खण्ड उत्तरकाशी/क्र. 0. उत्तरकाशी भटवाड़ी
- (4) कोषाधिकारी उत्तरकाशी/भटवाड़ी
- (5) श्री लाखी राम जूगडी सहा. अभियन्ता,
- (6) गार्ड फाइल

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता सहा.
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 2014/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री आनन्द सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर को अस्थायी खण्ड, थत्यूड में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
- सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 2014/111 (1)/13-46 (अधि0)09 टी0सी0

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

कार्यालय
प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

आज्ञा से,
प्रतिभा
(महिमा)
अनु सचिव

प्रस्ताव नं० 164/35-क-ए-1/12-46/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 3) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 4) कोषाधिकारी, नरेन्द्रनगर, थत्यूड।
- 5) श्री आनन्द सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर, थत्यूड।
- 6) गार्ड फाइल।

कार्यालय
प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

EI / AO 5/5
प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 201/111 (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

- वर्तमान में श्री अरुण मित्तल, सहायक अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, ऋषिकेश को निर्माण खण्ड, रूड़की में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।
- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
 - सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
 - वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 201/111 (1)/13-46 (अधि0)09 टी0सी0
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ-कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

क) प्रतिलिपि

आज्ञा से,
[Signature]
(महिमा)
अनु सचिव

पृष्ठानक सं 165/35 का. सं. 112 दि 4/2/13
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
(1) मुख्य अभियन्ता ग. शे. लो. नि. वि. ऋषिकेश।
(2) अधीक्षण अभियन्ता व का. सं. / हरिद्वार सेत लो. नि. वि. देहरादून/हरिद्वार।
(3) अधीक्षासी अभियन्ता अ. लो. नि. वि. सेत लो. नि. वि. ऋषिकेश/रूड़की।
(4) कोषाधिकारी देहरादून/हरिद्वार।
(5) श्री अरुण कुमार मित्तल सहा. अभि.
(6) गार्ड फाइल।

[Signature]
कार्यालय-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

1/10/13

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या 196/111 (1)/12-46(अधि)09, टी0सी0
देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

- वर्तमान में श्री मनमोहन सिंह, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी को प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।
- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
 - सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
 - वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
 - कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ० एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या 196/111 (1)/13-46 (अधि)09 टी0सी0
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

113

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

कानूनी

आज्ञा से,
11/1/13

(महिमा)

पृष्ठानक सं 166/35-अक-सं/12-46/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अभियन्ता ज.सं. लो. निर्माण, पौड़ी
- अधीक्षण अभियन्ता 6 का इत लो. निर्माण उत्तरकाशी
- अधीक्षण अभियन्ता जि. रक/श.क. लो. निर्माण उत्तरकाशी
- कोषाधिकारी उत्तरकाशी
- श्री मनमोहन सिंह कार्यवाहक सहा. अभि.
- गार्ड फाईल

11/1/13

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 209/III (1)/12-46(अधि0)09, टी0सी0

देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2013

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में श्री छत्रपाल-सिंह, अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, थत्थूड को निर्माण खण्ड, पुरोला में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा कार्य हित में अधिशासी अभियन्ता के रूप में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन-तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाए।
5. सहायक अभियन्ता को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)

प्रमुख सचिव

संख्या 209/III (1)/13-46 (अधि0)09

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, गढ़वाल, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

देहरादून दिनांक 2.2.13

प्रतिलिपि :-

1. प्र. अ. कल. II लो. निर्माण वि. देहरादून।
2. अ. अ. कल. II लो. निर्माण वि. देहरादून।
3. अधि. अधि. कल. II लो. निर्माण वि. देहरादून।
4. अधि. अधि. कल. II लो. निर्माण वि. देहरादून।
5. अधि. अधि. कल. II लो. निर्माण वि. देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून